



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, सीलिंग (द्वितीय)
मण्डल : मेरठ , जनपद : गाजियाबाद , तहसील : गाजियाबाद
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202411280106769
वाद संख्या:- 6769/2024
चन्द्रवीर बनाम नीतू
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 18/06/2024

ग्राम भोवापुर परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद
सरिश्ता रिपोर्ट

प्रस्तुत पत्रावली/प्रश्नगत वाद संख्या टी-202411280106769, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2024, के आधार पर दिनांक 18.05.2024, को दर्ज कर रजिस्टर किया गया। इस्तेहार जारी किया गया जो तामिल होकर सलंगन पत्रावली है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्यचा प्राप्त की गयी। लेखपाल आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। क्रेता द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में साठे बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने का शपथ पत्र सलंगन किया गया। सलंगन खतौनी के अनुसार विक्रित भूमि श्रेणी 1(क) की है तथा बन्धक नहीं है। वादी द्वारा साक्ष्य असल बैनामा/मुसन्ना शपथ पत्र दाखिल किया गया। किसी के द्वारा अपात्ति नहीं दी गयी है। वाद निर्विवाद है। अतः ग्राम भोवापुर के खाता नं0 06 के खसरा नं0 237 रकबा 0.0050 है0 मा0 गु0 0.20 रू से विक्रेता नीतू पत्नी उदयवीर नि0 ग्राम भोवापुर गा0 बाद व उदयवीर पुत्र रामजी लाल नि0 ग्राम भोवापुर तह0 व जिला गा0 बाद (विक्रेतागण ने अपना बराबर- बराबर हिस्सा विक्रय किया है) का नाम खारिज करके क्रेता चन्द्रवीर पुत्र रघुवर नि0 ग्राम मकरमतपुर सिकरोड तह0 व जिला गा0 बाद नाम बतौर क्रमांक 5819 पर बैनामा अंकन 4.30.000/- रूपये दिनांक 14.05.2024 के आधार पर दर्ज किया जाने हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है।

आदेश

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम भोवापुर के खाता नं0 06 के खसरा नं0 237 रकबा 0.0050 है0 मा0 गु0 0.20 रू से विक्रेता नीतू पत्नी उदयवीर नि0 ग्राम भोवापुर गा0 बाद व उदयवीर पुत्र रामजी लाल नि0 ग्राम भोवापुर तह0 व जिला गा0 बाद (विक्रेतागण ने अपना बराबर- बराबर हिस्सा विक्रय किया है) का नाम खारिज करके क्रेता चन्द्रवीर पुत्र रघुवर नि0 ग्राम मकरमतपुर सिकरोड तह0 व जिला गा0 बाद नाम बतौर क्रमांक 5819 पर बैनामा अंकन 4.30.000/- रूपये दिनांक 14.05.2024 के आधार पर दर्ज होवे। पत्रावली बाद अमल दरामद दाखिल दफ्तर होवे।

(नायब तहसीलदार सीलिंग-2)
गाजियाबाद

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"